



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 28, 2017/फाल्गुन 9, 1938

No. 144]

NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 28, 2017/PHALGUNA 9, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2017

सा.का.नि. 177(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, 8 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिय संचलन) नियम, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिय संचलन) संशोधन नियम, 2017 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापारिय संचलन) नियम, 2016 में—

(क) नियम 12 में, उप-नियम (6क) में "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों के पश्चात "निर्यात उन्मुख इकाइयों" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे;

(ख) अनुसूची III में, भाग ख में, ख3 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"ख3010	ठोस प्लास्टिक अपशिष्ट पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट"
--------	---

(ग) अनुसूची VI में, बेसल संख्या ख3010 के समक्ष और कॉलम (2) में इसके तत्स्थानी प्रविष्टियों में,—

(i) "पॉलीमिथाइल मेथाक्राइलेट" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) टिप्पणी में, "विशेष आर्थिक जोन" शब्दों के पश्चात, "निर्यात उन्मुख इकाइयों" शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. 23-16/2009-एचएसएमडी]

विश्वनाथ सिन्हा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी- मुख्य नियम भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप खंड (i) में सा.का.नि.395 (अ), तारीख 04 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 670 (अ) तारीख 6 जुलाई, 2016 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2017

G.S.R. 177(E).—In exercise of powers confirmed by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby amends the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely:—

1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016,—

(a) in rule 12, in sub-rule (6A), after the words “Special Economic Zones”, the words, “and Export Oriented Units”, shall be inserted;

(b) in Schedule III, in Part B, after B3 and the entries relating thereto the following shall be inserted, namely:—

“B3010	Solid plastic waste Polymethyl methacrylate”.
--------	--

(c) in Schedule VI, against Basel Number B3010 and its corresponding entries in column (2),-

(i) the words “polymethyl methacrylate” shall be omitted;

(ii) in the Note, after the words “special economic zones”, the words “and export oriented units” shall be inserted.

[F. No. 23-16/2009-HSMD]

BISHWANATH SINHA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number GSR 395 (E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* GSR 670 (E) dated the 6th July, 2016.